"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2012—कार्तिक 8, शक 1934

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-13/दो-गृह/न.से./2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 के उप-नियम (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(दो-अ) **शारीरिक योग्यता—**

(क) ऊंचाई— पुरुष - 162 से.मी.
महिला - 152 से.मी.

(ख) अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक नि:शक्तता नहीं होनी चाहिए.

(ग) अभ्यर्थी के घुटने नहीं मिलना चाहिए एवं पैर समतल नहीं होने चाहिये. अभ्यर्थी को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए. अभ्यर्थी को दृष्टि से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिये. एक आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्में के 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए. अभ्यर्थी को मुख्य रंगों में भेद करने में सक्षम होना चाहिए. अभ्यर्थी को किसी गंभीर रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए.

(घ) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा."

2. नियम 11 के उप-नियम (2) के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(दो) सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

(अ) **प्रथम चरण—**

(1) **शारीरिक नाप जोख**—अभ्यर्थियों का शारीरिक नाप जोख नियम 8 के उप-नियम (दो-अ) में उल्लिखित मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा.

टीप— शारीरिक नाप जोख के संबंध में किसी विवाद की दशा में, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से नामांकित चिकित्सक का निर्णय अंतिम होगा.

(2) **व्यावसायिक दक्षता परीक्षा**— परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी.

हिन्दी आशुलिपि परीक्षा (शीघ्रलेखक)— इस परीक्षा में 500 शब्दों की लिखित सामग्री का 100 शब्द प्रति मिनट की औसत गति से वाचन किया जायेगा. विषय को अभ्यर्थी को आशुलिपि में लेख करना होगा, तत्पश्चात् उसका टंकण करना होगा. अभ्यर्थी को टंकित सामग्री, तीस मिनट के भीतर, जिसमें वाचन, शीघ्रलेखन तथा टंकण का समय भी शामिल होगा, कक्ष निरीक्षक को सौंपनी होगी.

टीप— शीघ्रलेखक के लिये हिन्दी आशुलिपि परीक्षा अनिवार्य होगी.

(3) **कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा**— यह परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी :—

प्रथम भाग—डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें 100 वस्तुनिष्ट प्रश्न होंगे, जिसकी अवधि दो घंटे होगी, य‸ अधिकतम 100 अंकों का होगा. इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है.

दूसरा भाग— डाटा एन्ट्री की गति की जांच करने हेतु परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें सहायक ग्रेड-तीन के पद के लिए न्यूनतम 5000 की डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति तथा शीघ्रलेखक के पद के लिए न्यूनतम 10000 की डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए.

परीक्षा के प्रथम चरण में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त अभ्यर्थियों की एक प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी, जिसमें विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या के तीन गुने अभ्यर्थियों के नाम द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किये जाएंगे. अंतिम अभ्यर्थी, जिस पर कि 3 गुन संख्या पूर्ण होती है, तथा वे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किये हों, को परीक्षा के द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जायेगा, भले ही वह संख्या अनुबद्ध 3 गुने की संख्या से अधिक हो जाए.

(ब) **द्वितीय चरण—**

हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता की जांच तथा सामान्य ज्ञान हेतु लिखित परीक्षा—उन समस्त अभ्यर्थियों की, जो प्रथम चरण में सफल हुए हैं, उनकी हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता की जांच तथा सामान्य ज्ञान हेतु लिखित परीक्षा ली जायेगी. इस परीक्षा की अवधि 2 घण्टे की होगी तथा परीक्षा कुल 75 अंकों की होगी. 75 अंकों में से हिन्दी भाषा एवं व्याकरण के लिए 30 अंक होंगे. अंग्रेजी भाषा एवं व्याकरण के लिए 15 अंक एवं सामान्य ज्ञान के लिए 30 अंक होंगे. यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी, किन्तु सहायक ग्रे‸ तीन, शीघ्रलेखक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिये पृथक-पृथक स्तर के प्रश्न पत्र तैयार किये जायेंगे.

(स) **साक्षात्कार**— साक्षात्कार हेतु कुल 25 अंक होंगे.

(द) **बोनस अंक**— नीचे अंकित विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रत्येक अर्हता के लिए 5 बोनस अंक के पात्र होंगे. तथापि, बोनस अंकों की कुल संख्या 10 से अधिक नहीं होगी, अर्थात् दो से अधिक योग्यताएं प्राप्त करने पर भी, अभ्यर्थी केवल 10 बोनस अंकों के ही पात्र होंगे.

ये बोनस अंक साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों के अतिरिक्त होंगे.

(क) आई.टी.आई. पॉलीटेक्निक अथवा अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कार्यालय प्रक्रिया अथवा कार्यालय प्रबंधन में सर्टीफिकेट अथवा डिप्लोमा.

(ख) विधि स्नातक (एल. एल. बी.)

(ग) अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान."

3. नियम 11 के उप-नियम (2) के खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(चार) अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में समिति का निर्णय—

1. (1) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा उपयुक्तता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा.

(2) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/चयन में उपस्थिति के लिए निरर्हित ठहराया जा सकेगा.

2. **समिति द्वारा साक्षात्कार—**

(1) उन सभी अभ्यर्थियों, जो परीक्षा के द्वितीय चरण हेतु पात्र घोषित किये गये हों, तथा जो शारीरिक नापजोख में न्यूनतम विहित मानदण्ड पूर्ण करते हों और जो द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, का साक्षात्कार, समिति द्वारा लिया जाएगा.

(2) ऐसे समस्त मामलों में, जहां समिति ऐसा करना उचित समझे, साक्षात्कार के लिये समिति के समक्ष उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की उपस्थिति में पुन: शारीरिक नापजोख कराने के लिए समिति सक्षम होगी.

(3) समिति लिखित परीक्षा अथवा व्यावयायिक दक्षता परीक्षा पुन: आयोजित कराने अथवा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन कराने के लिये कोई निर्देश नहीं दे सकेगी."

4. नियम 12 के उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(4) सीधी भर्ती के लिये अंतिम प्रावीण्य सूची, प्रथम चरण की व्यावसायिक दक्षता परीक्षा/प्रथम चरण के कम्प्यूटर ज्ञान की लिखित परीक्षा, द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों तथा बोनस अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी.

(5) सहायक ग्रेड-3 एवं शीघ्रलेखक के पदों के लिये प्रावीण्य सूची, प्रथम चरण की व्यावसायिक दक्षता जांच के 100 अंकों, द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के 75 अंकों, साक्षात्कार के 25 अंकों तथा बोनस के 10 अंकों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. कुल अंक 210 (100+75+25+10) होंगे.

डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए प्रावीण्य सूची प्रथम चरण के कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा के 100 अंकों, द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के 75 अंकों, साक्षात्कार के 25 अंकों तथा बोनस के 10 अंकों में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. कुल अंक 210 (100+75+25+10) होंगे.

(6) सीधी भर्ती से सेवा में नियुक्ति, उपरोक्त प्रकाशित चयन सूची पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही, अनुमोदित सूची के अनुसार की जाएगी.

(7) यह चयन सूची इसके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए अथवा आगामी सीधी भर्ती की चयन सूची जारी होने की तारीख तक, जो भी पू[illegible] होगी.

5. अनुसूची-तीन के कॉलम (2) के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र होना चाहिये, तथा

(3) हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होना चाहिये."

6. अनुसूची-तीन के कॉलम (2) के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक/पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से :—

(क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण.

(ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण.

(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण.

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एण्ट्री में 10,000 की डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति."

7. अनुसूची-तीन के कॉलम (2) के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.

या

10वीं बोर्ड परीक्षा तथा किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होना चाहिये."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 13-13/दो-गृह/न.से./2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-13/दो-गृह/न.से./2008, दिनांक 26 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 26th October 2012

NOTIFICATION

No. F 13-13/Two-Home/H.G./2008.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Home Guards Class-III (Ministerial) Service Recruitment and Promotion Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. After sub-rule (II) of Rule 8, the following shall be added, namely :—

"(II-A) **Physical Qualification—**

(a) Height — Male - 162 cm.
Female - 152 cm.

(b) The candidate should not be physically handicapped in any way.

(c) The Candidate should not have knock knee, flat foot. The candidate should be medically fit. The candidate should not have any vision defect. Vision of eyes without spectacle should not be less than 6/9 of one eye and 6/12 of the other eye. Candidate should be able to differentiate between main colours. The candidate should not suffer from any serious disease.

(d) No candidate shall be eligible for appointment who has more than two living children, one of whom has been born on or after 26 January, 2001."

2. For clause (ii) of sub-rule (2) of Rule 11, the following shall be substituted, namely :—

"(ii) The procedure of Competitive Examination for the selection through direct recruitment shall be as under :—

(A) First Phase—

(1) **Physical Measurement—** The physical measurement of the candidates shall be conducted as per the criteria mentioned in sub-rule (II-A) of Rule 8.

Note — In case of any dispute regarding physical measurement, the decision of the doctor duly nominated by District Chief Medical Officer shall be final.

(2) **Professional Proficiency Test—** The test shall be of 100 marks.

Hindi Shorthand Examination (Stenographer)— 500 words written matter shall be read out at an average speed of 100 words per minute, in this examination. The candidate is required to write doun the matter in shorthand and thereafter type it. The candidate has to submit typed matter to the room invigilator within 30 minutes which is inclusive of dictation, shorthand writing and typing time.

Note — Hindi Shorthand Examination shall be compulsory for Stenographer.

(3) **Computer Knowledge Test—** This examination shall be conducted in two parts—

First Part— A written examination shall be conducted for the post of Data Entry Opetator. This shall consist of 100 objective type questions and duration shall be 2 Hours with a maximum of 100 marks. A candidate has to compulsorily obtain 50 percent marks for passing this examination.

Second Part— An examination shall be conducted to test data entry speed in which minimum of 5000 key depressions speed per hour shall be compulsory for the post of Assistant Grade-III, speed of minimum 8000 key depressions per hour shall be compulsory for the post of data entry operator and speed of minimum 10000 key depressions per hour shall be compulsory for the post of Stenographer.

A merit list shall be prepared of candidates who have secured minimum 50 percent marks in the first phase of examination in which the candidates numbering three times the number of vacant posts advertised shall be called for examination of second stage. Last candidate, on whom three times number is completed and all those candidates who obtained marks more than or equal to this candidate shall be admitted in the second stage of examination irrespective of the number exceeding, the stipulated three times number.

(B) **Second Phase**— Written examination to test proficiency in Hindi, English and General Knowledge- A written examination shall be conducted of all those candidates who have been successful in the first phase to test their proficieny in Hindi, English and General Knowledge. The duration of this examination shall be 2 hours and it shall carry a total of 75 marks. Out of 75 marks, 30 marks shall be for Hindi Language and Grammar. 15 marks shall be for English language and Grammar and 30 marks shall be for General Knowledge. This examination shall be compulsory for all candidate but question papers of different standards shall be set for post of Assistant Grade-III, Stenographer and Data Entry Operator.

(C) **Interview**— There shall be total 25 marks for interview.

(D) **Bonus Marks**— Candidates possessing special qualifications enumerated below are entitled to bonus of 5 marks for each qualification. However, the total number of bonus marks shall not exceed 10 marks i.e. candidates possessing more than two qualifications shall be entitled to a bonus of 10 marks only.

These bonus marks shall be in addition to the marks prescribed for interview.

(a) Certificate or diploma in office procedure or office management from I.T.I. Polytechnic or institute recognized by all India Vocational Educational Council.

(b) Law Graduate (LL.B.)

(c) Knowledge of English shorthand writing and English Typing."

3. After clause (iii) of sub-rule (2) of Rule 11, the following clause shall be added, namely :—

"(iv) Decision of the Committee with regard to eligibility of the candidate—

1. (1) The decision of the committee regarding eligibility of candidate for admission to Examination and Interview or suitability otherwise shall be final.

(2) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

2. **Interview by the Committee**—

(1) Interview of all those candidates who have been declared eligible for the Second phase of examination and who fulfill the minimum prescribed criteria of physical measurement and who have appeared in the written examination of second phase shall be conducted by the committee.

(2) The committee shall be competent to re-conduct physical measurements in presence of candidates who appear before the Committee for Interview in all such cases where the committee deems it fit to do so.

(3) The committee cannot give any direction (s) for reconducting written Examination or Professional Efficiency Test or revaluation of Answer sheet(s)."

4. After sub-rule (3) of Rule 12, the following shall be added, namely :—

"(4) The Final merit list for direct recruitment shall be prepared on the basis of total marks obtained in professional proficiency test of first phase/computer knowledge written examination of first phase, written examination of second phase, interview and bonus marks.

(5) The merit list for the post of Assistant Grade-III and Stenographer shall be prepared on the basis of marks obtained in professional proficiency test of first phase of 100 marks, written examination of second phase of 75 marks, interview carrying 25 marks and Bonus 10 marks. Total marks shall be 210. (100+75+25+10).

Merit list for the post of Data Entry Operator shall be prepared on the basis of marks obtained in computer knowledge test of first phase of 100 marks, written examination of second phase carrying 75 marks, interview of 25 marks and bonus 10 marks. Total marks shall be 210 (100+75+25+10).

(6) The appointment in Service from Direct Recruitment shall be made out of above said published selection List, only after obtaining the approval of Competent Authority as per approved list.

(7) This Selection List shall be valid for a period of one year from the date of its publication or till the date of issue of Selection List of next Direct Recruitment, whichever is earlier."

5. For the entries of column (5) against serial number 1 of column (2) of Schedule-III, the following entries shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed (10+2) Examination from any recognized Board.

(2) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognised Institute, and

(3) Should have speed of 5,000 key depression per hour in Hindi computer typing."

6. For the entries of column (5) against serial number 2 of column (2) of Schedule-III, the following entries shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed Higher Secondary Examination or (10+2) or passed 1st year graduation course from any recognized Board/University.

(2) From any recognized Board/Institute or Shorthand and Typing Council :—

(a) Passed Hindi Shorthand and Hindi typing in computer with speed of 100 words per minute and 30 words per minute respectively for Hindi Stenographer.

(b) Passed English Shorthand and English typing in computer with speed of 100 words per minutes and 35 words per minute respectively for English Stenographer.

(c) Passed certificate course of Hindi and English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bilingual Stenographer.

(3) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Instiute and should have speed of 10,000 key depression per hour in data entry."

7. For the entries of column (5) against serial number 3 of column (2) of Schedule-III, the following entries shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed 12th (10+2) Examination from any recognized Board.

OR

Should have passed 10th Board Examination and three years Diploma course in any subject.

(2) Should have one year Diploma in Data Entry Operator/Programming from any recognised Institute and speed of 8,000 key depression per hour in computer in Hindi and English."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
L. S. KEN, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.